क्रम संख्या–17

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जनवरी, 2014 ई०
माघ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 37/XXXVI(3)/2014/06(1)/2014
देहरादून, 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–01 वर्ष 2014)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के चौंसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 10 का संशोधन	2.	धारा 10 निम्नवत संशोधित कर दी जायेगी, अर्थात– "कोई व्यक्ति, जो कि द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर आयोग को उक्त आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन दे सकता है, जिसे विहित रीति से निस्तारित किया जायेगा : परन्तु यह कि आयोग पुनरीक्षण हेतु स्वतः भी संज्ञान ले सकेगा, परन्तु यह और कि आयोग यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन न कर सकने के लिए यदि वह संतुष्ट हो तो वह उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है,"
धारा 12 से 18 का पुनःस्थापन	3.	उत्तराखण्ड लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2013) द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की निरसित धारा 12 से 18 को पुनःस्थापित कर दिया समझा जायेगा।
धारा 12 का संशोधन	4.	धारा 12 का परन्तुक एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।